अध्याय VII — वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

7.1 अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय के कारण भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) पर परिहार्य वित्तीय बोझ

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट की निवेश समिति के एक निजी कंपनी के साथ कर्मचारी ट्रस्ट निधि का निवेश करने के अविवेकपूर्ण निर्णय से, ट्रस्ट को हुए नुकसान के कारण कंपनी पर परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा। कंपनी को ईपीएफ ट्रस्ट को ₹1.37 करोड़ का ब्याज का काफी नुकसान उठाना पड़ा और ₹81.43 लाख की ब्याज देयता लंबित थी। कंपनी को ₹5.70 करोड़ की मूल राशि के संभावित नुकसान के लिए ट्रस्ट को क्षतिपूर्ति भी करनी होगी क्योंकि निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी (आईएल एंड एफएस) ने ब्याज के भुगतान में चूक की थी और परिसमापन में चली गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (फरवरी 1995) के रूप में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, कि भारत में बैंक नोटों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आरबीआई को सक्षम बनाया जा सके ताकि आरबीआई देश में बैंक नोटों की आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को समाप्त कर सके। बीआरबीएनएमपीएल (कंपनी) को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिसका पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बीआरबीएनएमपीएल कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ट्रस्ट की स्थापना मार्च 1997 में अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए की गई थी और इसे न्यासी मण्डल द्वारा प्रशासित किया जाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ ट्रस्टों द्वारा निवेश के लिए जारी अधिशेष निधियों के निवेश के लिए संशोधित निवेश दिशानिर्देश (सितंबर 2015) को बीआरबीएनएमपीएल के ईपीएफ ट्रस्ट द्वारा भी अपनाया गया था। इन संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रस्ट सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवेशों (श्रेणी-i प्रतिभूतियां), ऋण लिखतों और संबंधित निवेशों (श्रेणी-ii प्रतिभूतियां), अल्पावधि ऋण लिखतों और संबंधित निवेशों (श्रेणी-iii प्रतिभूतियां), इक्विटी और संबंधित निवेश (श्रेणी-iv प्रतिभूतियां) और समर्थित परिसंपत्ति, संरचित ट्रस्ट और विविध निवेश (श्रेणी-v प्रतिभूतियां) में निर्धारित प्रतिशत पर निवेश कर सकता है। निवेश के

निर्णय ट्रस्ट की निवेश समिति[60] द्वारा लिए जाने थे और ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाने थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ट्रस्ट पूरी तरह से 'वार्षिक यील्ड टू मैच्योरिटी' (ए वाई टी एम) के आधार पर एच-1 स्क्रिप्ट में निवेश कर सकता है। इसके अलावा, बीआरबीएनएमपीएल के ईपीएफ ट्रस्ट नियमों के पैरा 35 (बी) के अनुसार, नियोक्ता चोरी, सेंधमारी, गबन, दुर्विनियोग या किसी अन्य कारण से निधि को होने वाले किसी भी अन्य नुकसान की पूर्ति करेगा।

कंपनी के ईपीएफ ट्रस्ट की निवेश समिति ने ट्रस्ट के पास 30 जून 2017 को उपलब्ध ₹5.70 करोड़ श्रेणी (ii) प्रतिभूतियों में पीएसयू बांड, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान बांड, निजी क्षेत्र के बांड और सावधि जमा रसीदों मे निवेश करने का निर्णय लिया। समिति ने अरेंजर्स से कोटेशन आमंत्रित किए और 14 अरेंजर्स से कोटेशन प्राप्त किए। तुलनात्मक विवरण के अनुसार, मेसर्स जे एंड के बैंक एच-1 के रूप में उभरा, जिसमें एवाईटीएम जून 2022 में 9.06 प्रतिशत की दर पर पूरा हो रहा था। हालांकि, निवेश समिति ने निवेश के लिए एच-1 पर विचार नहीं किया और इसके बजाय आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) द्वारा उद्धृत एच-2 स्क्रिप्ट में पूरी राशि का निवेश करने का निर्णय लिया (जून 2017) जिसमें एवाईटीएम जून 2024 में 7.99 प्रतिशत की दर पर पूरा हो रहा था।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2021) कि निवेश समिति ने जेएंडके बैंक द्वारा एच-1 उद्धरण को इसे पर्याप्त आकर्षक नहीं पाए जाने के लिए कुछ भी निर्दिष्ट किए बिना केवल यह कहकर खारिज कर दिया कि यह एक बेसल III बॉन्ड था। निजी क्षेत्र के बांडों (दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 सी) के चयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, शेयरों की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग एएए और दो रेटिंग एजेंसियों से होनी चाहिए। हालांकि आईएल एंड एफएस के लिए क्रेडिट रेटिंग को दो रेटिंग एजेंसियों (केयर और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा तुलनात्मक विवरण में एएए के रूप में दिखाया गया था, केयर द्वारा दी गई रेटिंग की सत्यापन स्थिति को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा 'सत्यापित नहीं' के रूप में दर्शाया गया था। निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी, आईएल एंड एफएस ने 22 जून 2018 को देय पहले वर्ष के लिए निवेश पर ₹45.60 लाख के ब्याज का भुगतान किया लेकिन 2019 से 2021 तक तीन वर्षों के लिए ब्याज की किश्तों की ₹1.37 करोड़ की राशि के भुगतान में चूक की। चूक के कारण, कंपनी को ट्रस्ट को हुए नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। इसने ईपीएफ ट्रस्ट को वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए देय ब्याज के रूप में ₹55.37 लाख का भुगतान किया, जबकि कंपनी द्वारा वर्ष 2020-21 और 2021-22 (22 जून 2021 तक)

---

[60] निवेश समिति में अध्यक्ष (डीजीएम और उससे ऊपर के स्तर पर), ट्रस्टी सचिव और सलाहकार, कार्यकारी ट्रस्टी, एक प्रबंधन ट्रस्टी, कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात बीआरबीएनएमपीएल पीएफ ट्रस्ट के दो कर्मचारी ट्रस्टी शामिल होंगे

के लिए ₹81.43 लाख के ब्याज का भुगतान किया जाना बाकी था। इसके अलावा, ₹5.70 करोड़ की मूल राशि के संभावित नुकसान को भी कंपनी को वहन करना होगा क्योंकि आईएल एंड एफएस का परिसमापन होने वाला था। यह उल्लेख करना उचित है कि आईएल एंड एफएस ने 2018 और 2019 के दौरान 64 अन्य डिबेंचर धारकों को भी देय तिथियों पर ब्याज और डिबेंचर के प्रतिदान के भुगतान में चूक की थी। ऐसे में आईएल एंड एफएस से ₹5.70 करोड़ की मूल राशि की वसूली की संभावना न के बराबर है। इस प्रकार, दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को अपने स्वयं के फंड से मूलधन और ब्याज की कुल हानि ₹7.07 करोड़ (मूलधन ₹5.70 करोड़ और ब्याज ₹1.37 करोड़) की भरपाई करनी होगी। मूलधन की वसूली तक ब्याज दायित्व रहेगा।

प्रबंधन ने कहा (जून और अगस्त 2021) कि निवेश समिति ने एच-1 स्क्रिप्ट में निवेश नहीं करने का निर्णय लिया था क्योंकि यह एक बेसल III बांड था और साथ ही निवेश की तारीख को इसकी रेटिंग ए ए थी, जो आवश्यक क्रेडिट रेटिंग (ए ए+) से कम थी। पीएसयू बांड में निवेश के लिए उन्होंने यह कहते हुए निवेश को उचित ठहराया कि आईएल एंड एफएस की क्रेडिट रेटिंग एएए थी जैसा कि दो एजेंसियों अर्थात आईएनडी एंड केयर द्वारा किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सबसे पहले संशोधित निवेश दिशानिर्देशों के पैरा 2.1 (ii) के अनुसार, आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश को न्यूनतम एए रेटिंग के साथ अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, कम क्रेडिट रेटिंग के आधार पर जेएंडके बैंक, जो एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, के एच-1 कोट को अस्वीकार करने के लिए निवेश समिति का निर्णय सही नहीं था। दूसरा, आईएल एंड एफएस ने उद्धरण प्रस्तुत करने की तिथि के अनुसार आईएनडी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) द्वारा क्रेडिट रेटिंग को सत्यापित किया था और अन्य क्रेडिट रेटिंग को सत्यापित/ जांच नहीं देखा था। इसके अलावा दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 (सी) के अनुसार, एकल जारीकर्ता/ कंपनियों के समूह के साथ निवेश चालू वर्ष में ट्रस्ट के कुल निवेश के पांच प्रतिशत या ₹5 करोड़ जो भी कम हो, तक सीमित किया जा सकता है। निवेश समिति ने निजी क्षेत्र की कंपनी में निर्धारित राशि से अधिक निवेश करते समय भी इस सीमा की अनदेखी की।

इस प्रकार, ईपीएफ ट्रस्ट का ईपीएफ ट्रस्ट के अधिशेष धन को एक निजी क्षेत्र की कंपनी में ₹5.70 करोड़ की सीमा तक निवेश करने का निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि यह निवेश दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं था। कंपनी के ईपीएफ ट्रस्ट को हुए नुकसान की भरपाई कंपनी को करनी है, जिससे अब तक ₹1.37 करोड़ का परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा, जिसमें से 2020-22 के लिए ₹81.43 लाख का ब्याज भुगतान हेतु लंबित है। कंपनी को ₹5.70 करोड़ की मूल राशि का भी भुगतान करना पड़ सकता है क्योंकि आईएल एंड एफएस ने तीन साल

के लिए ब्याज के भुगतान में चूक की थी और परिसमापन में चला गया था। इसके अलावा कंपनी पर ब्याज की देनदारी मूल राशि की वसूली तक रहेगी।

मामला सरकार को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2022)।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि

- ***कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईपीएफ ट्रस्ट निवेश के दिशा-निर्देशों का ईमानदारी से पालन करे ताकि हानि वाले निवेशों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।***
- ***कंपनी ट्रस्ट के उन कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है जिनके अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय के कारण कंपनी पर परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा है।***

नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून 2022

(मनीष कुमार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 21 जून 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक